59

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1674–तीन/2006 – विरूद्ध आदेश दिनांक 08–08–2006 – पारित व्दारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर – प्रकरण क्रमांक 11/2004–05 अपील

राममिलन पुत्र बैजनाथ निवासी ग्राम
मगुआपुरा तहसील सेवढ़ जिला दतिया ---आवेदक

विरूद्ध

1– रामेश्वर पुत्र बैजनाथ ग्राम मगुआपुरा तहसील सेवढ़ा जिला दतिया मध्यप्रदेश
2– श्रीमती मिथला पुत्री रतीराम पत्नि भगवानदास ग्राम रामपुरा जिला दतिया
3– श्रीमती रामादेवी पुत्र बैजनाथ ग्राम सलोन तहसील भाण्डेर जिला दतिया ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री दुष्यंत सिंह)
(अनावेदक–1 के अभिभाषक श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी)
(अनावेदक–2,3 के विरूद्ध एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 4 – 1 –2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त,ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण क्रमांक 11/04–05 अपील में पारित आदेश दिनांक 8–8–06 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम भउआपुरा की आराजी क्रमांक 769 रकबा 0.07 हैक्टर की भूमिस्वामिनी महिला मूलावाई थी, जिसकी मृत्यु उपरांत ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक 11 पर आदेश दिनांक 28-10-02 से ग्राम पंचायत ने आवेदक एंव रामेश्वर, मिथला, रामदेवी का समान भाग पर नामान्तरण किया । इस आदेश के विरूद्ध राममिलन ने अनुविभागीय अधिकारी सेवढ़ा के समक्ष अपील क्रमांक 27/2002-03 प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी सेवढ़ा ने आदेश दिनॉक 26-7-2004 से अपील निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 11/04-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 8-8-06 से अपील निरस्त हुई। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत हुई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक एंव अनावेदक क्रमांक-1 के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक 2,3 सूचना उपरांत अनुपस्थित हैं, उनके विरूद्ध एकपक्षीय है।

4/ आवेदक एंव अनावेदक क-1 के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि आवेदक वादग्रस्त भूमि पर विक्रय पत्र दिनांक 6-9-02 के आधार पर नामान्तरण चाहता है जवकि मूल भूमिस्वामिनी महिला मूलवाई के 95 वर्ष के होने का प्रमाण प्रकरण में है एंव यह भी निर्विवाद है कि आवेदक एंव अनावेदकगण सगे भाई बहिन हैं। यदि महिला मूलवाई ने विक्रय पत्र दिनांक 6-9-02 से एक पुत्र के हित में विक्रय पत्र संपारित कर दिया,

तब वह 14-9-02 को उसी भूमि की बसीयत क्यों करेगी। मूलावाई का देहान्त 1-10-2002 को हुआ है अधीनस्थ न्यायालयों ने यह निष्कर्ष दिया है कि जब मूलवाई 95 वर्ष की थी, उसके व्दारा विक्रय पत्र संपादित करके विक्रय धन किस प्रकार सुरक्षित रखा गया - विचार योग्य है। अर्थात विक्रय पत्र संदिग्ध हो जाता है जिसके कारण संदिग्ध विक्रय पत्र के आधार पर हक अर्जित न होने के सम्बन्ध में अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण क्रमांक 11/04-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 8-8-06 में निकाला गया निष्कर्ष उचित प्रतीत होता है। वैसे भी तीनों अधीनस्थ न्यायालयें के आदेश समवर्ती है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त,ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण क्रमांक 11/04-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 8-8-06 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर